

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक प.3(7)आरपीजी/2019

जयपुर, दिनांक 31/12/2020


आदेश

सहायक निदेशक, पब्लिक सर्विसेज, बूंदी के उपयोग हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प.2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 एवं दिनांक 28.02.2019 में अंकित शर्तों/दिशा-निर्देशों/RTTP Act/Rules/निर्धारित प्रक्रिया की पूर्णपालना सुनिश्चित करते हुए 01 जिला स्तरीय किराये का वाहन 28500/- रु प्रतिमाह 2000 कि.मी. की श्रेणी में दिनांक 28.02.2021 तक अथवा छी पद भरे रहने, जो भी पहले हो तक हायर करने की सहमति प्रदान की जाती है।

सहायक निदेशक, पब्लिक सर्विसेज, बूंदी के सहायक निदेशक के पद पर पूर्णकालिक अधिकारी के पदस्थापन की अवधि में ही वाहन किराये पर लिये जायेगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति आई.डी.क्रमांक 102005685 दिनांक 28.12.2020 के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से


 31-12-2020

(अरुण प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
3. जिला कलेक्टर, बूंदी
4. निदेशक, लोक सेवाएँ, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ, बूंदी।
6. रक्षित पत्रावली।

जारी
31/12/2020
N.M.


उप शासन सचिव
PK